

प्रारूप "ख"

देखिए नियम 6(2) और (3)

कार्यालय, विहित प्राधिकारी जिला उपखण्ड अधिकारी, सीकर

संख्या :

दिनांक :

संपरिवर्तन आदेश

सोभासरिया जन कल्याण ट्रस्ट ग्राम गोकुलपुरा तहसील सीकर के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम, 1992 के नियम 3(2) / 8 (3) के अधीन कृषि प्रयोजन के लिए इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गयी है :-

1. आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम, : सोभासरिया जन कल्याण ट्रस्ट
पिता/पति के नाम सहित तथा पूरा पता ~~डा.~~ सिबटल्ला स्ट्रीट, कलकत्ता
31,
 2. क्या आवेदक अनुसूचित जाति या : नहीं
अनुसूचित जन जाति का सदस्य है
 3. संपरिवर्तित भूमि का ब्यौरा :
- क. ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील का नाम : गोकुलपुरा (सीकर)
- ख. भूमि का खसरा सं. और प्रत्येक खसरा : 1093/4.47 है. 1090/2.83 है.
सं. का क्षेत्रफल (हैक्टर में) 1091/2.59 है. कुल 9.99 है.
- ग. प्रत्येक खसरा सं. के क्षेत्रफल को : -- do--
उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तित क्षेत्रफल
(हैक्टर या वर्ग मीटर में)

टिप्पणी :- अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए, राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग की सम्यक् रूप से सत्यापित प्रति संलग्न है :

4. संपरिवर्तन का प्रयोजन : लोकोपयोगी (कॉलेज)
 5. संदेय प्रीमियम की दर : शून्य
 6. चालाल की सं. तथा तारीख जमा कराई : --
गयी प्रीमियम की रकम
 7. चालान की सं. तथा तारीख सहित शस्ति : --
यदि कोई हो, की जमा करायी गयी रकम
 8. चालान की सं. तथा तारीख सहित ब्याज : --
यदि कोई हो, की जमा करायी गयी रकम
 9. क्या आदेश नियमितीकरण के लिए नियम : --
12 के अधीन जारी किया गया है
 10. अन्य विशिष्टियां, यदि कोई हो : --
 11. उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा -
- क. उपयुक्त अकृषिक प्रयोजन के लिए संपवित्तित भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा ।
 - ख. यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 2 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत करली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रीमियम धन समपहृत हो जायेगा ।
 - ग. नियम 4 में यथा-वर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा ।
 - घ. लोकोपयोगी प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग विहित प्राधिकारी से विधि मान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा ।

विहित प्राधिकारी की मुहर

34
विहित प्राधिकारी के हस्ताक्षर
जिला उपखण्ड अधिकारी, सीकर

क्रमांक 398-21021

दिनांक 26.2.19

प्रतिलिपि

1. जिला कोकटर महोदय, सीकर
2. ग्राम पंचायत, गोकुलपुरा, सीकर
3. शोभासरिवा जन कल्याण ट्रस्ट
31 सिबटल्ला स्ट्रीट, कलकत्ता

उपखण्ड अधिकारी, सीकर
प्रतिभारणी अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी, सीकर